अनवान संदीप कुमार बनाम दयाराम
वाद मुकदमा नं. 46/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 46/2022

अन्तर्गत धारा 53, 88, राज. काश्तकारी अधिनियम

1– सन्दीप कुमार पुत्र श्री दयाराम सहारण, आयु 38 वर्ष, निवासी नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) ।

2– प्रदीप कुमार पुत्र श्री दयाराम सहारण, आयु 36 वर्ष, निवासी नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0

—— वादीगण

बनाम

1– दयाराम पुत्र स्व0 श्री जीवन राम जाति जाट निवासी नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

2– स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री मनोज कुमार राजवंशी (वादीगण)
प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित।
पैरोकार राज (प्रति.–2)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 09.07.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार चक नं. 1 जी छोटी के मुरब्बा नं. 53 में प्रतिवादी दयाराम पुत्र श्री जीवनराम की 23 बीघा सिंचित कृषि भूमि है । प्रतिवादी के उत्तरजीवी कुल 5 वारिसान क्रमशः श्रीमती सरस्वती (पत्नी), कमलेश व स्मेष्टा (पुत्रियां) तथा सन्दीप कुमार व प्रदीप कुमार पुत्र हैं। प्रतिवादी दयाराम ने स्वयं स्वेच्छा से व अपने सभी उत्तरजीवी उत्तराधिकारियों से परस्पर एकराय होकर दिनांक 17 अगस्त 2021 मंगलवार को एक पारिवारिक समझौता विलेख निष्पादित किया है। पारिवारिक समझौता विलेख की प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है । उपरोक्त समझौता विलेख दिनांकित 17 अगस्त 2021 के पैरा संख्या– 4 में अभिवर्णन के अनुसार दयाराम के उत्तरजीवी वारिसान क्रमशः कमलेश व स्मेष्टा ने अपने हकों का परित्याग कर अपने–अपने हिस्सा की कृषि भूमि का स्वेच्छा से समर्पण कर दिया है तथा उक्त कृषि भूमि की जोत वादीगण ही करते आ रहे हैं। समझौता विलेख के पैरा संख्या–3 के अनुसार मुरब्बा नं. 53 के किला नं. 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23 (0.0250) व 24 (0.0250) बीघा कृषि भूमि वादी संख्या – 1 सन्दीप कुमार के पक्ष में रहेगी, की व्यवस्था दी गई है । इस कुल सिंचित कृषि भूमि के सन्दीप कुमार पुत्र दयाराम एकल स्वामी होंगे। इसमें किसी भी सदस्य व किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति व एतराज नहीं होगा। यदि कोई ऐसा करेगा तो वह विधि विरूद्ध माना जावेगा एवम् समझौता विलेख के अनुसार मुरब्बा नं. 53 के किला नं. 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 (0.0250) व 22 (0.0250) बीघा कृषि भूमि वादी संख्या–2 प्रदीप कुमार के पक्ष में रहेगी, की व्यवस्था दी गई है। इस कुल सिंचित कृषि भूमि के प्रदीप कुमार पुत्र दयाराम एकल स्वामी होंगे। इसमें किसी भी सदस्य व किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति व एतराज

उपखण्ड अधिकारी (राज.),
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

नहीं होगा । यदि कोई ऐसा करेगा तो वह विधि विरुद्ध माना जावेगा। पारिवारिक समझौता विलेख दिनांकित 17 अगस्त 2021 के अनुसार उपरोक्त सम्पति जो कि पारिवारिक कृषि भूमि है, का विभाजन रजामन्दी व पूर्ण सहमति से किया गया है व इस पारिवारिक समझौता 'विलेख के आधार पर ही राज्य सरकार के अधिकृत विभाग से विभाजन के अनुरुप नामान्तरण (इन्तकाल) विधिमान्य होगा। परिवार के किसी भी सदस्य या वारिसान को इसमें एतराज नहीं होगा। यह पारिवारिक समझौता विलेख पूर्ण रूप से कानूनी दृष्टि से विधिमान्य दस्तावेज होगा। 7. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण श्रीगंगानगर के स्थायी निवासी हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि जो कि दयाराम की अचल सम्पति है, श्रीगंगानगर तहसील के चक 1 जी छोटी, पटवार हल्का नेतेवाला, तहसील श्रीगंगानगर में स्थित होने के कारण यह वाद श्रीमान् न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है तथा उचित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है। वादीगण द्वारा वाद निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया :–

अ– कि चक 1 जी छोटी, पटवार हल्का नेतेवाला, तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 53 के किला नं. 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23 (0.0250) व 24 (0. 0250) बीघा कृषि भूमि का खाता विभाजन कर इस चरण में वर्णित कृषि भूमि को वादी संख्या – 1 सन्दीप कुमार के पक्ष में घोषित किया जाकर डिक्री फरमाया जावे।

ब– कि चक 1 जी छोटी, पटवार हल्का नेतेवाला, तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 53 के किला नं. 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 (0.0250) व 22 (0.0250) बीघा कृषि भूमि का खाता विभाजन कर इस चरण में वर्णित कृषि भूमि को वादी संख्या – 2 प्रदीप कुमार के पक्ष में घोषित किया जाकर डिक्री फरमाया जावे।

स– कि क्रम संख्या – अ व ब में अभिवर्णित मुरब्बा नं. 53 के किला नं. 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23 (0.0250) व 24 (0.0250) व मुरब्बा नं. 53 के किला नं. 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 (0.0250) व 22 (0.0250) क्रमशः वादी संख्या – 1 सन्दीप कुमार तथा वादी संख्या – 2 प्रदीप कुमार के पक्ष में विभक्त कर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किये जाने बाबत तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर को आदेश जारी किये जावें ।

द– कि अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय की दृष्टि में उचित हो, प्रतिवादी से वादीगण को दिलाये जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि चक नं. 1 जी छोटी के मुरब्बा नं. 53 में दयाराम पुत्र श्री जीवनराम की 23 बीघा सिंचित कृषि भूमि है। दयाराम के उत्तरजीवी हम कुल 5 वारिसान क्रमशः श्रीमती सरस्वती (पत्नी), कमलेश व स्मेष्टा (पुत्रियां) तथा सन्दीप कुमार व प्रदीप कुमार पुत्र हैं। दयाराम ने स्वयं अपनी इच्छा से व हम सभी उत्तराधिकारियों से परस्पर एकराय होकर दिनांक 17 अगस्त 2021 मंगलवार को एक पारिवारिक समझौता विलेख निष्पादित किया था. जो कि वाद पत्र की पत्रावली के साथ उपलब्ध है। वारिसान कमलेश व स्मेष्टा ने अपने हकों का परित्याग कर अपने–अपने हिस्सा की कृषि भूमि का स्वेच्छा से समर्पण कर दिया है । समझौता विलेख के पैरा संख्या – 3 के अनुसार मुरब्बा नं. 53 के किला नं. 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23 (0.0250) व 24 (0.0250) बीघा कृषि भूमि वादी संख्या – 1 सन्दीप कुमार के हक में छोड़ी गई है। इसमें किसी भी सदस्य व किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति व एतराज नहीं है और ना ही होगा। समझौता विलेख के अनुसार मुरब्बा नं. 53 के किला नं. 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 (0.0250) व 22 (0.0250) बीघा कृषि भूमि वादी संख्या– 2 प्रदीप कुमार के पक्ष में छोड़ी गई है। इसमें किसी भी सदस्य व किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति व एतराज नहीं है और ना ही होगा । इस कृषि भूमि का विभाजन हमने आपसी रजामन्दी व पूर्ण सहमति से किया है । अतः उक्त राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर हमारी चक नं. 1 जी छोटी के मुरब्बा नं. 53 की सिंचित कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया या। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2070 –2073 ग्राम 1 जी छोटी, पटवार क्षेत्र तेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 33/29 की प्रति एवं पारिवारिक समझौता विलेख दिनांक 13.08.2021 असल पेश किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी एक ही परिवार से हैं। करण में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादीगण एवं तिवादी के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवम् जमाबन्दी, एवं पारिवारिक समझौता विलेख दिनांक 13.08.2021 के अवलोकन से न्यायालय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार खातेदार घोषित किया जाता है :–

क.सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	संदीप कुमार पुत्र दयाराम (वादी संख्या 1)	ग्राम 1 जी छोटी, पटवार क्षेत्र नेतेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 33/29 के मुरब्बा नं. 53 के किला नं. 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23/1(0.0250 हैक.) व 24/1(0.0250हैक.) हैक. कृषि भूमि
2	प्रदीप कुमार पुत्र दयाराम(वादी संख्या 2)	ग्राम 1 जी छोटी, पटवार क्षेत्र नेतेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 33/29 के मुरब्बा नं. 53 के किला नं. 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21/1(0.0250 हैक.) व 22/1(0.0250 हैक.) कृषि भूमि

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ॠण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09.07.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/07/24

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर0

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर